माननीय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)
(रीवा कैम्प)

(65)

प्र0क्र0 ------- अपील/

कमिश्नर आफिस
19 DEC 2005
रीवा सम्भाग, रीवा (म० प्र०)

COURT FEE 10 Rs. भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
COURT FEE 5 Rs. भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

1. हनुमानदत्त पाण्डेय तनय स्व0 श्री गोपाल दत्त पाण्डेय मृत्यु 27/9/08
2. धर्मदत्त पाण्डेय तनय श्री गोपाल दत्त पाण्डेय, —
3. उपेन्द्रदत्त पाण्डेय तनय श्री स्व0 गोपाल दत्त पाण्डेय

सभी निवासी ग्राम बढ़िया, तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

----------- आवेदकगण

2214-II/05
27.9.08

26(2)(b)

बनाम

1. सुधीरदत्त पाण्डेय तनय श्री सुरेन्द्र दत्त पाण्डेय,
2. सुरेन्द्र दत्त पाण्डेय तनय स्व0 श्री गोपाल दत्त पाण्डेय

निवासी बढ़िया, टोला सतना, तह0 रघुराजनगर, सतना म0प्र0

---------- अना0गण

...ed by Shri राजेन्द्र पाण्डेय
...Application 19-12-05

19/12/05
Supdt. Commissioner's office
Rewa Division
Rewa (M. P.)

अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्र0क्र0 677 अपील/01-02 में पारित आदेश 28·9·05 के विरूद्ध निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य यह है कि ग्राम घूरडांग, तह0 रघुराजनगर जिला सतना की विवादित भूमियाँ के भूमि स्वामी आवेदकगण एवं अना0 सुरेन्द्र पिता एवं अनावेदक क्र0 1 सुधीरदत्त के बाबा स्व0 श्री गोपालदत्त पाण्डेय थे। भूमि स्वामी की मृत्यु के पश्चात् विवादित भूमियाँ का वारिसाना नामांतरण पंजी क्र0 1, दिनांक 16·12·94 द्वारा उनके पुत्र हनुमानदत्त धरमदत्त, उपेन्द्रदत्त, सुरेन्द्रदत्त एवं पुत्री भानुमती के नाम किया गया, तत्पश्चात् अना0क्र0 1 सुधीर दत्त ने तहसील न्यायालय में मृतक भूमिस्वामी गोपालदत्त के द्वारा लिखी गई वसीयत के आधार पर तहसील न्यायालय में नामांतरण का वाद प्रस्तुत किया, आवेदकों को क्र0 4 एवं मृतक ... रण किसी सक्षम न्यायालय

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क्रमांक निग0 2214–दो/2005 जिला–सतना

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17-8-16	आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री डी0 एस0 चौहान उपस्थित। उनके द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के प्र0क्र0 677/अपील/2001–02 में पारित आदेश दिनांक 28.09.2005 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता अधिनियम 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है । 2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम घूरडांग की विवादित भूमियों की आराजी का वसीयत के आधार पर नामांतरण करने हेतु अनावेदक क्र0 1 द्वारा तहसील न्यायालय में आवेदन–पत्र प्रस्तुत किया गया । जिस पर आवेदक ने आपत्ति ज़ाहीर करते हुये लेख किया कि उक्त वसीयत के आधार पर नामांतरण जरिये पंजी क्र0 1 दिनांक 25.11.94 को हो चुका है साथ ही आवेदक द्वारा दिनांक 22.01.96 को तहसील न्यायालय में इस आशय का आवेदन दिया कि अनावेदक ने सिविल न्यायालय में विवादित आराजियों का भूमिस्वामी घोषित करने हेतु वाद दायर किया है । अतः वादी को कोई स्वत्व प्राप्त नहीं जब तक की सिविल न्यायालय के द्वारा निराकरण नहीं किया जाता है । इस आवेदन को तहसील न्यायालय द्वारा निरस्त कर प्रकरण को साक्ष्य हेतु नियत किया गया । इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अपर कलेक्टर, सतना के न्यायालय प्रकरण क्रमांक	

103/निग0/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 04.02.02 से आवेदक के द्वारा प्रस्तुत निगरानी निरस्त करते हुये तहसील न्यायालय के आदेश को स्थिर रखा गया । अपर कलेक्टर, सतना के आदेश दिनांक 04.02.2002 से परिवेदित होकर आवेदक द्वारा निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा के न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जिसमें प्रकरण क्रमांक 677/अपील/2001–02 दर्ज होकर आदेश दिनांक 28.09.2005 को निगरानी में कोई विधिक बिन्दु नहीं होने के कारण निरस्त कर दी गई । अपर. आयुक्त रीवा के आदेश दिनांक 28.09.05 के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत कर बताया कि विवादित भूमियों का वारिसाना नामांतरण तहसील में किया गया, जो उस प्रकरण में अनावेदक क्र0 1 के पिता सुरेन्द्रदत्त पाण्डेय के नाम भी नामांतरण किया गया एवं उन्होंने तहसील न्यायालय में उनके पुत्र के नाम वसीयत होने की न तो कोई आपत्ति प्रस्तुत की और न ही ऐसे कोई सूचना तहसील न्यायालय में दी गई और न आवेदकों को ही दी गई, इससे यह स्पष्ट है कि तथाकथित वसीयतनामा वाद का बनाया गया है। इसलिये भी जबकि वसीयतकर्ता ने जैसा कि अपने वसीयत में स्पष्ट उल्लेख किया है कि मेरे पुत्रों के बीच में आपस में बंटवारा हो चुका है और अपने–अपने हिस्से में काबिज दाखिल है, तब वसीयतकर्ता को किसी के संपत्ति को वसीयत का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता। यदि वारिसाना नामांतरण के समय वसीयत होती है, तो निश्चित रूप से इसकी सूचना या आपत्ति अनावेदकगण

को देते । उन्होंने तर्क में यह भी बताया है कि एक नामांतरण दूसरे नामांतरण से निरस्त नहीं किया जा सकता है, जबकि प्रस्तुत मामले में ऐसा ही किया जा रहा है । आवेदक एवं अनावेदक तथा मृतक की भूमिस्वामी की पुत्री के हक में किया गया नामांतरण किसी सक्षम न्यायालय के द्वारा निरस्त नहीं किया गया है । इस कारण जब तक वह नामांतरण निरस्त नहीं हो जाता, तब तक इन्हीं आराजियात के बावत् दूसरा नामांतरण आवेदन पत्र दायर नहीं किया जा सकता । एक बार हो चुका नामांतरण दूसरा नामांतरण आदेश से निरस्त नहीं किया जा सकता, यह बिन्दु कलेक्टर एवं अपर आयुक्त के समक्ष भी उठाये गये थे, परन्तु उन्होंने इस पर कोई आदेश भी पारित नहीं किया, जबकि उठाये गये सभी बिन्दुओं का निराकरण आवश्यक है । अतः अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश निरस्त करते हुये निगरानी स्वीकार किया जावे ।

4/ अनावेदक सूचना उपरांत अनुपस्थित होने से उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की जाता है।

5/ मेरे द्वारा आवेदक अधिवक्ता के तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया, जिसमें यह प्रकट होता है कि आवेदक को यदि नामांतरण की कार्यवाही को रोकना था तो सिविल न्यायालय से स्थंगन आदेश प्राप्त करना चाहिये था । यदि स्थंगन आदेश नहीं है तो मात्र किसी आवेदन पत्र से कोई भी कार्यवाही रोकी नहीं जा सकती है । यदि स्वत्व का प्रश्न है सिविल न्यायालय से ही निराकरण किया जा सकता है । नामांतरण से किसी के स्वत्व में कोई आंच नहीं आती है । अतः अनावेदक के द्वारा

प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत से पूर्ण सहमत होते हुये तहसील न्यायालय के द्वारा पारित आदेश विधि सम्यक है जिसे अपर कलेक्टर ने अपने आदेश दिनांक 04.02.02 से पुष्टि की है जो मेरे मतानुसार उचित है । अपर आयुक्त रीवा ने दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा पारित आदेश को समवर्ती निष्कर्ष को माना है तथा उसमें हस्तक्षेप न करते हुये अपने आदेश दिनांक 28.09.2005 से स्थिर रखा है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के परिप्रेक्ष्य में निगरानी खारिज की जाती है । प्रकरण समाप्त होकर दाखिल रिकार्ड हो।

(के0सी0 जैन)
सदस्य